चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

प्रथम पक्ष- श्रीमती जागृति पत्नी रामचन्द्र R/O खटिहा थाना मऊ जनपद-चित्रकूट ने अपने पति द्वितीय पक्ष- रामचन्द्र S/O भुल्लन प्रसाद R/O खटिहा थाना मऊ जनपद-चित्रकूट के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज एवं मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1. प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी
2. महिला उ0नि0 श्रीमती शकुंतला देवी
3. महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना बरगढ़ पुलिस टीम ने पीआरवी कर्मियों(डायल 112) के सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न करने एवं छुरा से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

घटना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 02.09.2026 को समय लगभग 18:05 बजे पीआरवी-3204 को इवेंट संख्या के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं।

उक्त सूचना पर पीआरवी 3204 पर नियुक्त आरक्षी अरुण कुमार एवं आरक्षी गौरी शंकर तत्काल मोटरसाइकिल पीआरवी से मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद व्यक्तियों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया जा रहा था कि तभी मौके पर मौजूद अभियुक्त सब्बीर मुस्लिम उर्फ वीरू पुत्र अज्ञात, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी आदर्श कॉलोनी थाना बरगढ़ द्वारा अचानक आक्रोशित होकर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार (छुरा) से पुलिस कर्मियों पर प्रहार किया गया।

अभियुक्त के हमले से आरक्षी की वर्दी फट गई तथा अभियुक्त द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के सम्बन्ध में थाना बरगढ़ पर मु0अ0सं0 - /2026 धारा 109(1), 121(1), 132, 221, 352, 351(3) BNS एवं 7 CLA Act के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही -

घटना की सूचना पर तत्काल थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त सब्बीर मुस्लिम उर्फ वीरू (35 वर्ष) को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त छुरा बरामद किया गया है।

घायल/पीड़ित पीआरवी कर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सब्बीर मुस्लिम उर्फ वीरू उम्र 35 वर्ष

(4). जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह पूर्व राज्य मंत्री श्री चंदिका प्रसाद उपाध्याय तथा ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी श्री सुशील द्विवेदी की उपस्थिति में आज विकासखंड पहाड़ी के ग्राम पंचायत अरछा बरेठी एवं

इसके मजरा केवटन पुरवा तथा कुशवाहा पुरवा में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। इस दौरान लगभग 240 राहत किट तथा 250 लंच पैकेट का वितरण किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग ने कहा कि 29 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे जनपद के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वर्तमान में जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है। बाढ़ के दौरान अरछा बरेठी सहित प्रभावित ग्रामों के संपर्क मार्ग बाधित हो गए थे। जिला प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ एवं पीएसी के जवानों को तैनात कर प्रभावित क्षेत्रों से संपर्क स्थापित कराया गया तथा आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत किट एवं भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसी भी परिवार को आवश्यक खाद्य सामग्री के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग 36 ग्राम पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। अब तक जनपद में लगभग 3,000 राहत किट वितरित की जा चुकी हैं तथा लगभग इतनी ही अतिरिक्त राहत सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को लंच पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जिन परिवारों की संपत्ति अथवा अन्य प्रकार की क्षति हुई है, उनका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के आधार पर पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार अनुमन्य सहायता एवं राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की निरंतर निगरानी की जा रही है तथा प्रभावित परिवारों को आवश्यकतानुसार हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी राजापुर, तहसीलदार राजापुर सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।